

प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या: 15/2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए


भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने 'डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामलों' पर परामर्श पत्र पर टिप्पणियां|प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार

नई दिल्ली, 17 फरवरी 2023 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 13 जनवरी 2023 को 'डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामलों' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों से परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2023 और काउंटर टिप्पणियों के लिए 27 फरवरी 2023 निर्धारित की गई थी।

2. टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए समय के विस्तार के लिए हितधारकों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 27 फरवरी 2023 और 13 मार्च 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

3. टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल:- [advbcs-2@traai.gov.in](mailto:advbcs-2@traai.gov.in) और [jtadviser-bcs@traai.gov.in](mailto:jtadviser-bcs@traai.gov.in) पर भेजा जा सकता है। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस), भादूविप्रा से दूरभाष सं.: +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।



(वि. रघुनन्दन)

सचिव, भादूविप्रा